रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-11012022-232576 CG-DL-E-11012022-232576

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 15]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 11, 2022/पौष 21, 1943

No. 15] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 11, 2022/PAUSHA 21, 1943

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान
(संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित)
अधिसूचना
नई दिल्ली. 11 जनवरी, 2022

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीपीआर/पी/175/17/डीडी/159/टीएएमसी/आईएनएफ/17/डीसी/1163/19: चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. दीपक केडिया (सदस्यता संख्या 029842), नं. 23, तीसरी मंजिल, महाराजा बिल्डिंग, शांतप्पा लेन बंगलुरु 560 002 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 2 के खंड (1) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उन पर ऐसे प्रत्येक मामले, जिसमें उसने दिशानिर्देशों में अनुबंधित संख्या से अधिक संख्या में संपरीक्षा का संचालन किया है, 1,000/- रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया है, जिसका कुल योग केवल 4,72,000/- (चार लाख बहतर हजार रुपए) है, जिसका संदाय उक्त आदेश की प्राप्ति की तारीख से 3(तीन)मास के भीतर किया जाना था। अनुशासन समिति ने यह और आदेश किया कि यदि प्रत्यर्थी सीए. दीपक केडिया (सदस्यता संख्या 029842) अनुबंधित समय, अर्थात् 3(तीन) मास के भीतर जुर्माने की रकम को जमा करने में असफल रहता है तो उसके नाम को 01 (एक) मास की अविध के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाना चाहिए। चूंकि प्रत्यर्थी यथा अनुबंधित अधिरोपित जुर्माने की रकम को जमा करने में असफल रहा है, इसलिए अनुशासन सिमिति के पूर्वोक्त आदेश के अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम,

184 GI/2022 (1)

1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त सीए. दीपक केडिया (सदस्यता संख्या 029842) का नाम, 11 जनवरी, 2022 से 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, सचिव [विज्ञापन-III/4/असा./570/2021-22]

## THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up under an Act of Parliament)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 11th January, 2022

(Chartered Accountants)

No. PPR/P/175/17/DD/159/TAMC/INF/17/DC/1163/19: In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held CA. Deepak Kedia (Membership No. 029842), No. 23, 3<sup>rd</sup> Floor, Maharaja Building, Shantappa Lane, BENGALURU 560 002, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clause (1) of Part II of Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for imposing a fine of Rs. 1000/- for each case of audit conducted in excess of the number stipulated in the Guidelines which aggregates to Rs. 4,72,000/- (Rupees Four Lakhs Seventy Two Thousand only) which was payable within 3 months from the date of receipt of the said order. The Disciplinary Committee further ordered that if the Respondent, CA. Deepak Kedia (Membership No. 029842), fails to deposit the fine within the stipulated time i.e. 3 months, his name should be removed from the Register of Members for a period of 01(One) month. Since, the Respondent has failed to deposit the imposed fine as stipulated, in pursuance of the aforesaid order of the Disciplinary Committee and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said CA. Deepak Kedia (Membership No. 029842), shall stand removed from the Register of Members for a period of 01(One) month with effect from 11th January, 2022.

> CA.(Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy. [ADVT.-III/4/Exty./570/2021-22]